<u>किरायानामा</u>

यह पट्टा दिनांक _______माह ________सन ___________को श्री __________आत्मज _____आयु _____वर्ष _____ निवासी _______________जिसे आगे “ **मकान मालिक कहा गया है** ” एवं जो इस **विलेख का प्रथम पक्षकार** है।

तथा श्री _____________ आत्मज ____आयु _____वर्ष _____ निवासी_______________जिसे आगे “ **किरायेदार कहा गया है** ” एवं जो इस **विलेख का दूसरा पक्षकार** है के बीच ________(ग्राम/शहर का नाम) में निष्पादित किया गया।

चूंकि उक्त मकान मालिक का _____________ नगर में ______________ रोड पर अवस्थित एक मकान है जिसमे _______ कमरे, रसोई एवं लेट्रिन,बाथरूम है (जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है) ओर उक्त किरायेदार _________वर्ष के लिए रु।___________ प्रतिमाह में किराये पर लेने का इच्छुक है, एवं जिसे देने के लिए मकान मालिक सहमत है। किरायानामा निम्नलिखित शर्तों के आधीन रहेगा।

<u>किरायानामा की शर्ते</u>

1. की उक्त मकान ______ वर्ष के लिए किरायेदार जे आधिपत्य में रहेगा वह उसकी किराये की शर्तो के अनुसार उपयोग एवं उपभोग कर सकेगा
2. की किरायेदार दिनांक __________से आरंभ होकर दिनांक _____को समाप्त होगी एवं इसमे आगे किराएदारी की अवधि में वृद्धि करने का मकान मालिक का अधिकार होगा
3. की उक्त किरायेदार को उक्त माकन का किराया हर माह की पहली तारीख को अदा कर मकान मालिक से रसीद प्राप्त करनी होगी।
4. की उक्त मकान का __________ माह का किराया अग्रिम देय होगा, जो किराएदारी को समाप्ति पर लौट दिया जायेगा।
5. की किरायेदार उक्त मकान की बिजली एवं पानी के बिल का समय पर भुगतान कर रसीद प्राप्त करेगा।
6. की मकान का नगरपालिका को देय शुल्क मकान मालिक अदा करेगा।
7. की किरायेदार मकान स्वच्छ एवं ठीक हालत में रखेगा। उसे किसी भी प्रकारकी क्षतिग्रस्त नहीं करेगा। क्षतिग्रस्त होने की हालत में किरायेदार क्षतिपूर्ति अदा करने को बाध्य होगा।
8. की मकानमालिक की बिना स्वीकृति के किरायेदार उसमें किसी भी प्रकार की मरम्मत या निर्माण कार्य नहीं कराएगा एवं मकान मालिक की पूर्व स्वीकृति से किरायेदार __________माह के किराये की रकम तक को उसकी मरम्मत आदि में व्यय कर सकेगा।
9. की किरायेदार मकान को सिर्फ निवास के हेतु उपयोग में लाएगा उसमें किसी प्रकार का व्यापार एवं व्यवसाय नहीं कर सकेगा।
10. की किरायेदार उसमें किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य का व्यापार नहीं करेगा। एवं मकानमालिक को किसी भी दिन, दिन के समय शांतिपूर्वक मकान की देख रेख करने के लिए उसमें प्रवेश करने का अधिकार होगा।
11. की किरायेदार मकानमालिक की बिना स्वीकृति के किसी को भी किराये पे रहने को दे नहीं शकता ओर उसके सिवा दूसरे किसीको आने की प्रमिसिन दे नहीं शकता ।
12. की किरायेदार विलेख में उल्लेखित सारी शर्तों का पालन करने को बाध्य होगा एवं उसमें से किसी का भी उल्लंघन किए जाने पर मकानमालिक को उसे बेदखल करने एवं किरायेदारी समाप्त करने का अधिकार होगा। (किरायानामा मे पक्षकारों ने तई किये शर्तों के आधार पे बदलाव करने रहेंगे।)

उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम दोनों पक्षकारों ने निम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त अथान एवं दिनांक पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

साक्षिगण :- 1 & 2

मकान मालिक किरायानामा का प्रथम पक्षकार

मकानमालिक हस्ताक्षर

किरायेदार किरायानामा का दूसरा पक्षकार

किरायेदार हस्ताक्षर